कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन 'क' वर्ग
लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड, देहरादून
Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand
Phone & Fax:- 0135-2530467,2530431 Web- http:/govt.ua.nic.in/pwd E-Mail-estapwd@gmail.com

पत्रांकः 411 /34व्यक–सा0/2025 दिनांक 15/04/2026

–:कार्यालय ज्ञापः–

राज्य में विभिन्न सेवाओं के अन्तर्गत कर्मचारियों के स्थानान्तरण को निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ तथा पारदर्शी बनाने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 (संख्या–1,वर्ष–2018) के अनुपालन में स्थानान्तरण सत्र–2026 के स्थानान्तरण हेतु सुगम/दुर्गम स्थलों के चिन्हीकरण इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या–356/34व्यक–स्थानान्तरण–सा0/2026 दिनांक–31.03.2026 द्वारा किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं एवं इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या–353/34 व्यक–स्थानान्तरण–सा0/26 दिनांक–31.03.2026 द्वारा विभागाध्यक्ष कार्यालय स्तर से किये जाने वाले श्रेणी 'ख' एवं 'ग' के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु समिति का गठन किया जा चुका है।

स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारिणी के अनुपालन में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत वर्ष–2026 हेतु स्थानान्तरण की प्रकिया के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा **HRMS Portal** पर ऑनलाईन भरे गये डाटा यथा–सेवा विवरण के आधार पर समूह–'क', 'ख' एवं 'ग' के प्रत्येक संवर्ग के कार्मिकों के सुगम/दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची लोक निर्माण विभाग की बेवसाईट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या–379/34व्यक–स्थाना0–सा0/26 दिनांक–07.04.2026 द्वारा समितियों का गठन किया गया है। जिसके क्रम में पात्र कार्मिकों की सूची तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची लोक निर्माण विभाग की बेवसाईट पर अपलोड किये जाने के आदेश एतद्द्वारा पारित किये जाते है।

उपरोक्तानुसार प्रकाशित सूची में यदि किसी कार्मिक के सम्बन्ध में कोई त्रुटि पायी जाती है तो दिनांक 20.04.2026 तक अपने कार्यालयाध्यक्ष की संस्तुति के माध्यम से eicpwduk@nic.com पर विभागाध्यक्ष कार्यालय के संज्ञान में लाने का दायित्व सम्बन्धित कार्मिक एवं सम्बन्धित कार्यालाध्यक्ष का होगा।

(गौरव थपलियाल)
वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर (अधिष्ठान)

01. प्रतिलिपिः– सचिव, महोदय लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. प्रतिलिपिः– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
03. प्रतिलिपिः– मुख्य अभियन्ता (अधिष्ठान/नियोजन), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के संज्ञानार्थ प्रेषित।

क्रमशः–2–पर

04. प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा **HRMS Portal** पर की गई डाटा इन्ट्री के अनुसार पात्रता सूची तैयार की गयी है। यदि किसी कार्मिक के सम्बन्ध में कोई त्रुटि प्रतीत होती है, तो इसके समयान्तर्गत संशोधन हेतु सम्बन्धित कार्यालाध्यक्ष स्वंय जिम्मेदार होंगे:–

(i) समस्त मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

(ii) समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

(iii) अधिशासी अभियन्ता (अधिष्ठान), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

(iv) समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।

(v) अधिशासी अभियन्ता, (आई0टी0), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत प्रत्येक संवर्ग के कार्मिकों के सुगम/दुर्गम क्षेत्र के कार्यस्थल स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची दिनांक–15.04.2026 तक लोक निर्माण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कर व्यापक प्रचार–प्रसार करना सुनिश्चित करें (संलग्न सूची)।

(vi) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

(vii) प्रशासनिक/वरिष्ठ/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी–व्यवस्थापन–क/ख/ग/घ एवं कार्य प्रभारित वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने–अपने वर्ग से सम्बन्धित सूची आई0टी0 वर्ग में सम्यक अपलोड कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(viii) गार्ड पत्रावली हेतु।

वरिष्ठ स्टॉफ आफिसर (अधिष्ठान)